संख्या-315/2026/471/22-2-2025-17(105)/2017

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 02 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरीक सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर, हाल जनपद-करनाल(हरियाणा) की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-3840/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025) दिनांक-29-01-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरीक सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, जो असारपुर, थाना-झिझाना, जनपद-मुजफ्फरनगर, हाल पता-पृथ्वी बिहार कालोनी, पीर वाली गली नं0-02, थाना-कोतवाली नगर, जिला-करनाल(हरियाणा) का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 14.07.1984 की रात्रि को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार, कुल्हाड़ी, लाठियों, बन्दूक, तमन्चों से गोली मारकर 12 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 01 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0- 72/1985, भा०द०वि० की धारा-302/149, 307/149, 452, 148 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-03, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.04.1996 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.10.2007 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10.12.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.01.2025 तक अपरिहार 22 वर्ष, 04 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष, 05 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनान यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और जागे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक स्थिति सामान्य होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 14.07.1984 की रात्रि को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार कुल्हाड़ी, लाठियों, बन्दूक, तमन्चों से गोली मारकर 12 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 01 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है. जिसके आधार पर

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमरीक सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरीक सिंह (बन्दी संख्या-15706) पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर, हाल जनपद-करनाल(हरियाणा) को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-315/2026/471(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट,मुजफ्फरनगर/करनाल(हरियाणा) ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-315/2026/471/22-2-2025-17(105)/2017

दिनांक: 02 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरीक सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, जो असारपुर, थाना-झिझाना, जनपद-मुजफ्फरनगर, हाल पता-पृथ्वी बिहार कालोनी, पीर वाली गली नं0-02, थाना-कोतवाली नगर, जिला-करनाल(हरियाणा) का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 14.07.1984 की रात्रि को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार, कुल्हाड़ी, लाठियों, बन्दूक, तमन्चों से गोली मारकर 12 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 01 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0- 72/1985, भा०द०वि० की धारा-302/149, 307/149, 452, 148 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-03, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.04.1996 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.10.2007 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10.12.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.01.2025 तक अपरिहार 22 वर्ष, 04 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष, 05 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनान यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और जागे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक स्थिति सामान्य होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 14.07.1984 की रात्रि को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार कुल्हाड़ी, लाठियों, बन्दूक, तमन्चों से गोली मारकर 12 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 01 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है. जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमरीक सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।